



**मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा**  
**प्रधानमंत्री आवास योजना**  
**(अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप)**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किरफायती आवासों की योजना संचालित जिसमें सूझा द्वारा चयनित पात्र लाभार्थी होंगे। उक्त योजना के आकर्षण बिन्दु निम्न है।

- चार मंजिल ई.डब्ल्यू.एस भवनों की कुल लागत रू0 4.50 लाख प्रति भवन है।
- चयनित व्यक्ति को मात्र रू0 2.00 लाख में आवास उपलब्ध कराया जायेगा, तथा अवशेष राशि उ0प्र0 सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
- आवास का कारपेट क्षेत्रफल 22.77 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 30.00 वर्ग मीटर होगा जिसमें दो कमरे, शौचालय, स्नानगृह एवं रसोई का प्राविधान होगा।
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निजी विकासकर्ताओं की सहभागिता को अधिक से अधिक करने हेतु आवास बन्धु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तृतीय चरण में दि0 26.04.2018 से 12.05.2018 तक निविदायें आमंत्रित है।
- योजना हेतु भू-आच्छादन 50 प्रतिशत, एफ.ए.आर. 2.5 एवं अधिकतम धनत्व 600 आवासीय इकाईया प्रति हेक्टेयर अनुमन्य है। कुल एफ.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत तल क्षेत्रफल व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमन्य होगा।

(नोट:- इस योजना की अधिक जानकारी वेबसाइट-www.awas.up.nic.in से प्राप्त की जा सकती है)

